न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम), जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री जवाहर चौधरी आर0ए0एस0

पंचायत निगरानी सं.– 181/2025
जीसीएमएस सख्या – (2025/326)

निगरानीकर्ता/प्रार्थीः–

श्रीमती कमला देवी पत्नी श्री तेजाराम जी जाति जाट आयु 38 वर्ष निवासी ग्राम बोरानाडा, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थीगण/गैर निगरानीकारः–

1. श्री बलदेव पुत्र श्री भल्लाराम जाति जाट निवासी ग्राम बोरानाडा, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।
2. ग्राम पंचायत बोरानाडा जरिये सचिव/सरपंच, ग्राम पंचायत कार्यालय तहसील लूणी, जिला जोधपुर।
3. क्षेत्रीय प्रबंधक, राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रीयल डवलपमेंट एण्ड इन्डस्ट्रीयल कॉरपोरेशन (रीको) ठिकाना–ग्राम बोरानाडा, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 विरूद्व पट्टा संख्या 188 पट्टा बुक सं. 20 मिसल संख्या 188/2013–14 ग्राम पंचायत बोरानाडा द्वारा दिनांक 15.08.2014 को जारी किया गया, को निरस्त करने हेतु।

उपस्थिति :–

1. अधिवक्ता श्री भरत बूब (प्रार्थी की ओर से)।
2. अधिवक्ता श्री अनिल राठी (अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से)

–निर्णय– **दिनांक : 28.10.2025**

1. यह निगरानी राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97 के अंतर्गत ग्राम पंचायत बोरानाडा द्वारा ग्राम बोरानाडा के ख.नं. 23 की आबादी भूमि में से मिसल सं. 188/2013–14 (दायर दिनांक 05.04.2013) में बुक सं. 20 में से पट्टा सं. 188 (प्ररूप 23क) दिनाक 15.08.2014, प्रस्ताव सं. 03 दिनांक

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

25.10.2013 की पालना में जारी, को अपास्त करने हेतु इस न्यायालय में दिनांक 17.04.2017 में प्रार्थीया कमला देवी ने पेश की है।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी बलदेव की ओर से श्री अनिल राठी एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थी 2 ग्राम पंचायत, अप्रार्थी 3 रीको, बोरानाडा की ओर से किसी ने उपस्थिति नहीं दी, जबकि उन पर नोटिस तामिल हो चुके है।

3. अप्रार्थी 2 ग्राम पंचायत बोरानाडा से उक्त आक्षेपित पट्टा सं. 188 दिनांक 15.08.2014 से संबंधित पत्रावली, पंचायत बैठक रजिस्टर एवं पट्टा बही तलब किये गये। ग्राम पंचायत ने पत्रांक 86 दिनांक 08.08.2017, 33 दिनांक 06.07.2017, 904 दिनांक 12.04.2017, 249 दिनांक 17.05.2018 से इस कार्यालय को सूचित किया है कि आक्षेपित पट्टे से संबंधित वांछित अभिलेख ग्राम पंचायत कार्यालय में उपलब्ध नहीं है।

4. निगरानी मीमों में अंकित अभिवचनों अनुसार प्रकरण के संक्षिप्त एवं सारवान तथ्य इस प्रकार है कि निगरानीकर्ता का एक औद्योगिक भूखण्ड रीको क्षेत्र बोरानाडा में सं. एस–18 वाके कॉमर्शियल कॉम्पलेक्स रीको हाउसिंग कॉलोनी औद्योगिक क्षेत्र बोरानाडा में आया हुआ है। इस भूखण्ड के उत्तर की तरफ रीको की खांचा भूमि व उसके आगे रीको का नाला आया हुआ है। यह भूमि रिको में वेस्ट करती है अप्रार्थी एक व उसके पिता ने अपना प्रभाव का दुरुपयोग करते हुए तत्कालीन सरपंच मांगीलाल से मिलावट करके रीको की उपरोक्त भूमि का आवासीय पट्टा अपने नाम से जारी करवा लिया है जबकि रीकों की भूमि पर पट्टा जारी करने का ग्राम पंचायत को कोई अधिकार ही नहीं है। ग्राम पंचायत द्वारा उक्त जारी पट्टे की भूमि ग्राम बासनी सिलावटा के खसरा नंबर 22 की रीको की अवाप्त सुदा भूमि है। आवेदन करते समय अप्रार्थी 01 नाबालिग था तथा वह अपने पिता के साथ रहता था। अतः आक्षेपित भू भाग पर पुराना कब्जा अप्रार्थी 1 का नहीं हो सकता जबकि ग्राम पंचायत ने पुराना कब्जा मानकर पट्टा जारी किया है। पट्टा जारी करने में घोर विधिक अनियमितताएं की गई है तथा कानूनी प्रावधानों की अवहेलना की गई है, पट्टा गलत जारी किया है मौका निरीक्षण नहीं किया गया है, न ही पुराना कब्जा होने का सबूत पेश किया है। इसी भू भाग में अप्रार्थी 01 के पिता ने श्रीमती फूली देवी के नाम पट्टा जारी करना बताया था तथा कब्जा करने की कोशिश करने पर अप्रार्थी 03 रीको ने फौजदारी प्रकरण भी दर्ज कराया

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

था। उक्त प्रकरण के अनुसंधान में पाया गया कि आक्षेपित भू भाग ग्राम पंचायत का नहीं है तथा रीको के मालिकाना का भूखंड है। इस प्रकार आक्षेपित पट्टा फर्जी है जो अवैध होने से निरस्त योग्य है। अतः संकल्प संख्या 5 दिनांक 05.08.2013 के पालना में जारी पट्टा संख्या 188 मिसल संख्या 188/2013–14 को निरस्त किया जावे।

5. प्रार्थी ने उक्त विवरण के आक्षेपित पट्टा संख्या 188 दिनांक 15.08.2014 की रजिस्टर्ड प्रति पेश की है, इसके अतिरिक्त पुलिस थाना झंवर में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 52 दिनांक 12.06.2006 द्वारा रीको के विरुद्ध भलाराम व फूली देवी की फोटो प्रति भी पेश की है, जिसके संलग्न मौका रिपोर्ट दिनांक 20.06.2006 की फोटो प्रति भी है।

6. अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से माननीय न्यायालय सिविल न्यायाधीश (क,ख) जोधपुर द्वारा मूलवाद संख्या 55/2006 बाबत स्थाई निषेधाज्ञा में पारित निर्णय दिनांक 11.04.2008 की प्रति, सिविल विविध प्रकरण संख्या 68/2006 में पारित आदेश दिनांक 11.01.2017 की प्रति, रीको का पत्र दिनांक 16.05.2009 बाबत भूखण्ड संख्या एस–18, मौकाफर्द दिनांक 05.09.2019 की प्रतियां पेश की गई है।

   दिनांक 26.11.2019 को प्रार्थना पत्र पेश कर खसरा नंबर 75 ग्राम बासनी सिलावटान का पुनः मौका निरीक्षण करने का निवेदन किया है जिसमें मौका रिपोर्ट दिनांक 5.9.2019 को आक्षेपित किया गया है। इसी प्रकार दिनांक 04.11.2022 को प्रार्थना पत्र पेश कर भू प्रबंध विभाग जोधपुर से प्राप्त खसरा संख्या 23 ग्राम बोरानाडा के सीमांकन दिनांक 4.8.2022 की डीजीपीएस मशीन की तथ्यात्मक रिपोर्ट मय सुपर इंपोज नक्शा की प्रति पेश की है। इसी प्रकार ग्राम पंचायत बोरानाडा द्वारा जारी भवन निर्माण अनुमति पंत्राक 61 दिनांक 19.3.2015 के प्रति भी पेश की है।

7. उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस निगरानी पर सुनी गई।

8. निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री भरत बुब ने निगरानी मीमो में अंकित अभिवचनों को दोहराते हुए कथन किया है कि अप्रार्थी 01 द्वारा पुनः मौका निरीक्षण रिपोर्ट मंगवाने बाबत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारीज योग्य है। इस न्यायालय द्वारा जारी पत्र दिनांक 18.11.2019 की पालना में तहसीलदार लूणी ने दिनांक 27.12.2019 को मौका देखा। जिस भूमि पर पट्टा जारी किया गया है। वह भूमि रिकॉर्ड में रीको के नाम दर्ज है। ग्राम पंचायत को रीको की भूमि पर पट्टा जारी

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

करने का कोई अधिकार ही नहीं है। यह विवाद बहुत पुराना है। अप्रार्थी 1 ने सिविल दावा भी पेश किया था, जो दिनांक 11.4.2008 को खारिज हो गया है। इसी प्रकार दावा के साथ प्रस्तुत स्टे का प्रार्थना पत्र भी खारिज हो चुका है प्रतियां पत्रावली पर मौजूद है। सिविल कोर्ट ने विवादास्पद भूखण्ड रिको का माना है तथा उक्त निर्णय विवाद्यकों की विरचना करके पारित किया गया है। रीको को पक्षकार ही नहीं बनाया था।

इसके अतिरिक्त पट्टे से संबंधित रिकॉर्ड ग्राम पंचायत बोरानाडा में उपलब्ध नहीं है। रिकॉर्ड मंगवाने हेतु विकास अधिकारी लूणी को भी लिखा गया परंतु रिकॉर्ड नहीं उपलब्ध कराया है। भूमि रीको की है, जिस पर अवैध व बिना अधिकारिता के पट्टा जारी किया गया हैं, जो निरस्त योग्य है। अतः निगरानी स्वीकार की जावे तथा अप्रार्थी–1 का मौका निरीक्षण का प्रार्थना पत्र भी खारिज किया जावे क्योंकि मौखिक स्थिति पूर्व में ही पत्रावली पर मौजूद है।

9. अप्रार्थी संख्या–1 श्री बलदेव की ओर से दिनांक 10.10.2025 को लिखित बहस पेश गई है। अप्रार्थी–1 का आक्षेप है कि धारा 97 के तहत निगरानी सिर्फ प्रभावित पक्षकार (Interested Person) ही प्रस्तुत कर सकता है।

प्रार्थी ने आक्षेपित पट्टे की भूमि रीको की बताई है, तो इसके संबंध में सिर्फ रीको द्वारा ही कार्रवाई की जा सकती है जिसके लिए रीको का अलग से एक्ट बना हुआ है। आक्षेपित भूमि ग्राम पंचायत के अधीन होने से ग्रामं पंचायत ने अप्रार्थी 01 के पक्ष में विधिवत पट्टा जारी किया है तथा रीको द्वारा अप्रार्थी 01 के विरुद्ध कभी भी कोई कार्रवाई नहीं की है। ऐसी स्थिति में प्रार्थिनी को इस निगरानी को पेश करने का कोई अधिकार ही नहीं है

अप्रार्थी 01 का यह भी कहना है कि पूर्व में रीको द्वारा सिर्फ भूखंड संख्या एस–17 तक का ही साइट प्लान बनाया था तथा इसके पीछे भूखंड संख्या एस–72 था, उसके पश्चात नाला था अर्थात् भूखण्ड सं. एस–18 का कोई साइट प्लान ही नहीं बनाया था। उसके पास रिको ने नाला व भूखंड संख्या एस–17 की भूमि के बीच पड़ी रिक्त खांचा भूमि का साइट प्लान बनाकर, महादेव एंटरप्राइजेस के नाम लीज डीड जारी किया गया, जिसमें स्वयं प्रार्थीनी के साथ अप्रार्थी 01 भी भागीदार थे। उक्त तथ्य को प्रार्थीनी ने छुपाया है तथा बदनियति से यह निगरानी पेश की है। एस–18 की भूमि के उत्तर में अन्य भूमि दर्शायी है

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

जो ग्राम पंचायत बोरानाडा की भूमि है, जिस पर अप्रार्थी 01 का पुराना कब्जा होने से ग्राम पंचायत ने आक्षेपित पट्टा अप्रार्थी 1 के नाम जारी किया है।

ग्राम पंचायत द्वारा नियम 140 से 158 तक में विहित प्रकिया अपना कर भूमि विकय की जाती है जिसमें अनियमितता पाये जाने पर राज्य सरकार को धारा 97 के अंतर्गत जांच करने का अधिकार है, परंतु निगरानी में कहीं पर भी यह आक्षेपित नहीं किया है कि अप्रार्थी 1 के पक्ष में जारी पट्टे में किस नियम का किस प्रकार से उल्लंघन हुआ है। प्रार्थीनी का आधार सिर्फ एक ही बिंदु पर है कि पट्टे की भूमि रीको की है तथा रीको की भूमि पर ग्राम पंचायत को पट्टा जारी करने का कोई अधिकार ही नहीं है। प्रार्थीनी को उक्त प्रकार का आक्षेप करने का कोई अधिकार ही नहीं है क्योंकि आक्षेपित पट्टे की भूमि रीको की ही होने बाबत रीको द्वारा किसी तरह का एतराज पेश नहीं किया है तथा न ही रीको द्वारा कोई कार्रवाई की गई है। इस निगरानी में भी रीको पार्टी हैं परंतु किसी प्रकार का आक्षेप रीको की ओर से प्राप्त ही नहीं हुआ है।

ग्राम पंचायत ने मौका जांच करके नियम अनुसार पट्टा जारी किया है। प्रार्थीनी द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट पूर्ण रूप से गलत है।

भूखण्ड सं. एस–18 में प्रार्थीनी द्वारा गलत विक्रय विलेख अपने नाम करवाने के कारण अप्रार्थी 01 ने एक वाद सिविल कोर्ट में पेश कर रखा है जिसकी पेशबंदी व. दुर्भावना से प्रार्थीनी ने यह निगरानी पेश की है। महादेव एंटरप्राइजेस के पूर्व (मालिक भूखण्ड सं. एस–18) मालिक द्वारा विवादास्पद पट्टे बाबत कोई कार्रवाई नहीं की गई है। रिको ने भी कोई कार्रवाई नहीं की है परंतु पार्टनर्स के बीच विवाद के बाद आक्षेपित पट्टे की भूमि ग्राम बासनी सिलावटा की बताकर विवाद उत्पन्न किया है। दोनो गांवों की सीमा के मध्य मुटाम कायम है। वर्ष 2006 में भू–प्रबंध अधिकारी, जोधपुर के आदेश दिनांक 24.06.2006 से एवं तहसीलदार लूणी के आदेश दिनांक 23.06.2006 की पालना में भूमि का नाप चौक किया जा चुका है जिसमें रीको के प्रतिनिधि मौजूद थे तथा रीको ने अपनी सीमा का अंतिम भूखण्ड सं. एस–18 का साइट प्लान तैयार कर लिया था जिसे महादेव एंटरप्राईजेस ने खरीद लिया, जिसमें प्रार्थीनी स्वयं भागीदार हैं। अगर ग्राम पंचायत ने गलत पट्टा जारी किया है तो ग्राम बोरानाड़ा के ख.न. 23 व बासनी सिलावटान के ख.न. 75/1 का सही व वास्तविक नाप–चौक करके नक्शे सहित रिपोर्ट मंगवाई जावे। दिनांक 26.06.2006 की तहसीलदार की रिपोर्ट में, भूखण्ड

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

को ग्राम बोरानाड़ा के दक्षिण में बासनी सिलावटान की सरहद में अवस्थित बताया है। अब सीमा विवाद को इस निगरानी के माध्यम से नहीं निपटाया जा सकता। वास्तव में भूखण्ड ग्राम बोरानाडा में ही स्थित है तथा ग्राम पंचायत ने नियमानुसार पट्टा जारी किया है। अतः निगरानी को अस्वीकार किया जावे।

10. हमने पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का भली–भांति अध्ययन कर अवलोकन किया। उभय पक्षों द्वारा दौरान बहस प्रस्तुत तर्को पर मनन किया। विविध प्रावधानों का अध्ययन कर मार्गदर्शन प्राप्त किया।

11. (a) प्रकरण के तथ्यों का समग्र रूप से विश्लेषण करने के उपरांत यह विवाद बिन्दु उभरकर आया है कि ग्राम पंचायत बोरानाड़ा द्वारा जारी किया गया आक्षेपित पट्टा ग्राम बोरानाड़ा के ख.न. 23/22 की भूमि पर में से या ग्राम बासनी सिलावटान के ख.न. 75/1 की भूमि पर जारी किया गया है क्योकि ग्राम बासनी सिलावटा के ख.न. 75/1 व ग्राम बोरानाड़ा का ख.न. 22/23, दोनो ग्रामों की सीमाओं पर स्थित है तथा आपस में लगते हुए है। निगरानीकर्ता का कथन है कि विवादित पट्टा ग्राम बासनी सिवालटान (Sic-बोरानाड़ा) के ख.न. 22 की रीकों की अवाप्तसुदा–योजना की भूमि में से जारी किया गया है। पट्टा विलेख में ख.न. 23 ग्राम बोरानाड़ा लिखा हुआ है जो 166.34 वर्गगज का दिनांक 15.08.2014 को मिसल संख्या 188/2013–14 में पट्टा बुक संख्या–20 में से पट्टा संख्या–188 जारी किया गया है जिसका पंजीयन उपपंजीयक, झंवर के कार्यालय में क्रमांक 201503093100082 पर दिनांक 16.01.2015 को किया गया है जिसके पश्चिम में रीकों की भूमि तथा उत्तर में जोधपुर–बालोतरा सड़क को सीमा के रूप में दर्शाया है जिसे दिनांक 20.06.2006 की पुलिस मुकदमा संख्या–39/06 व 40/06 में बिन्दु A के रूप में ग्राम बासनी सिलावटान के ख.न. 75/1 में, ग्राम बोरानाड़ा के ख.न. 23 के दक्षिण में दर्शाया है, जिसे रीको की अवाप्त भूमि बताया है। फूली देवी ने स्थाई निषेधाज्ञा के वाद संख्या–55/2006 में उक्त भूखण्ड को ख.न. 23 ग्राम बोरानाड़ा में बताया है परन्तु साक्ष्य पेश नहीं करने के आधार पर उक्त वाद खारिज किया गया है।

(b)इस न्यायालय के आदेश से दिनांक 05.09.2019 को तैयार मौका फर्द अनुसार, आक्षेपित पट्टे की भूमि ग्राम बासनी सिलावटा के ख.न. 75/1 में पायी गई है, जो रिको के नाम खाता संख्या–166 सम्बत् 2070–73 रकबा 2–04 बीघा–किस्म बारानी प्रथम दर्ज होना बतायी है। इस रिपोर्ट पर पटवारी, भू.अ. निरीक्षक व

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

रीको के प्रतिनिधि के हस्ताक्षर है। उक्त रिपोर्ट तहसीलदार झवंर के पत्रांक 958 दिनांक 27.12.2019 से प्राप्त हुई है।

(c)अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा भू–प्रबन्ध अधिकारी जोधपुर से ग्राम बोरानाड़ा के ख.न. 23 के सीमांकन दिनांक 04.08.2022 को राजस्व कार्मिकों को उनकी उपस्थिति में तकनीकी सहयोग दिया जाकर डीजीपीएस मशीन की तथ्यात्मक रिपोर्ट मय सुपर इंम्पोज नक्शा की रिपोर्ट की प्रति पेश की है, जिसके अनुसार ख.न. 22 व 23 ग्राम बोरानाडा के मध्य आवेरलेप या रिक्त भूमि नहीं है, लेकिन इससे यह स्पष्ट नही होता है कि आक्षेपित पट्टे की भूमि ग्राम बासनी सिलावटान के ख.न. 75/1 में है या ग्राम बोरानाड़ा के ख.न. 23 की भूमि में से है। दिनांक 04.08.2022 को तैयार की गई सर्वे रिपोर्ट अप्रार्थी–1 ने पेश नहीं की है।

(d) सीमा विवाद का निपटारा करने का अधिकार, धारा 97 के प्रावधानों के तहत नहीं किया जा सकता। यह विवाद रीको व ग्राम पंचायत बोरानाड़ा के मध्य है। हस्तगत निगरानी में इस न्यायालय को यह निर्धारित करना है कि ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया गया आक्षेपित पट्टा विधि सम्मत है या नही? उक्त प्रश्न का निर्धारण करने से पूर्व यह निर्धारित करना आवश्यक है कि इस निगरानी के माध्यम से निगरानीकर्ता को, आक्षेपित पट्टे बाबत निगरानी पेश करने का अधिकार है या नहीं तथा प्रार्थीया किस प्रकार से हितबद्ध व्यक्ति (Interested person) या व्यथित व्यक्ति (Aggrieved person) है।

हस्तगत निगरानी में ग्राम पंचायत बोरानाड़ा व रीको दोनो ही अप्रार्थीगण के रूप में संयोजित है। प्रार्थीया ने रीकों की भूमि पर ग्राम पंचायत द्वारा बिना क्षेत्राधिकार के आवासीय पट्टा अप्रार्थी–1 के पक्ष में अवैध रूप से जारी करने के आधार पर निरस्त करने हेतु यह निगरानी पेश की है, परन्तु प्रत्यक्षतः प्रमाणित पक्षकार रीको द्वारा, किसी भी प्रकार से आक्षेपित पट्टा रीको की जमीन पर जारी करना नहीं कथित किया है तथा न ही पट्टा को निरस्त करने का कथन पेश किया है।

प्रार्थीया की फर्म का रीको के भूखण्ड संख्या–एस 18 पर लीज डीड है तथा आक्षेपित पट्टे की भूमि का, भूखण्ड संख्या एस–18 की भूमि से कोई लेना–देना नही है। आक्षेपित पट्टे की भूमि सार्वजनिक सम्पति नहीं है बल्कि रीकों की बताई जा रही है, जिस पर प्रार्थीया द्वारा किसी भी प्रकार से क्लेम पेश करने का कोई सबूत/दस्तावेत पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। यह आक्षेपित भूमि

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

सार्वजनिक भूमि होती, तो प्रार्थीया द्वारा ग्राम पंचायत द्वारा बरती गई अनियमितता बाबत आवाज उठाई जा सकती थी, परन्तु प्रार्थीया स्वयं द्वारा ही आक्षेपित भूमि रीकों की बताई जा रही है तथा रीको किसी प्रकार की कार्यवाही करने को स्वतंत्र है, परन्तु प्रार्थीया को प्रकरण के तथ्यों अनुसार हितबद्ध या व्यथित व्यक्ति नहीं माना जा सकता तथा प्रार्थीया ने भी निगरानी मीमों में यह अंकित नहीं किया है कि वह किस प्रकार से हितबद्ध या व्यथित व्यक्ति है।

(e) माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर ने DBSAW संख्या 641/2022 में पारित निर्णय दिनांक 28.01.2022 (श्रीमती अन्तरकंवर बनाम राजस्थान राज्य) में इस प्रकार मत व्यक्त किया हैः–

"In our opinion, the learned single Judge has committed no error. Admittedly, the Petitioner has not produced any document Showing any right, title or interest on the land in question. Section 97 of the Rajasthan Panchayati raj Act, 1994 pertains to power of revision and review by the government. Subsection (2) of section 97 provides that the state government may either of its own motion or an application from any person interested, Call for examine the record of a panchayati Raj Institution or of a Standing committee or a Sub-committee there of inrespect of any proceedings to Satisfy itself as the correctness, legality or propriety of any decision or order passed there in and pass such order as it appears to the Stare government appropriate. Sub Section (1) of section 97 thus while allowing the State government to act Suo-moto, also recognizes the light of a person inerested to call in question any order or proceeding of Panchayat Raj institution or the standing Committee or Sub Committee thereof.

This provision Cannot be construed as to permitting even a person who has no locus to invoke the power under Sub Section (1) of Section 97. The Sub-section (1) of section 97 has dual purpose, to a person interested to question any proceedings or order of the Rajasthan Panchayati Raj Institution and also

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

enables the State government to act Suo moto. In the result the appeal is dismissed.

(f)उक्तानुसार माननीय न्यायालय द्वारा प्रतिपादित न्यायिक दृष्टांत की रोशनी में, हस्तगत प्रकरण के तथ्यों का परीक्षण करने से स्पष्ट होता है कि प्रार्थी द्वारा रीकों की भूमि पर ग्राम पंचायत द्वारा आक्षेपित पट्टा अप्रार्थी–01 के पक्ष में जारी करना बताया गया है तथा उसे निरस्त करने हेतु यह निगरानी धारा 97 के तहत पेश की गई है, जिसमें रीको अप्रार्थी सख्या 03 के रूप में संयोजित है परन्तु रीको की ओर से ग्राम पंचायत द्वारा जारी आक्षेपित पट्टे बाबत किसी प्रकार का एतराज पेश नही किया है तथा प्रार्थीया द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी सबूत/साक्ष्य निगरानी के समर्थन में हितबद्ध/व्यथित व्यक्ति होने का पेश नहीं किया गया है, जिसके आधार पर प्रार्थीया को हितबद्ध व्यक्ति या व्यथित व्यक्ति माना जा सके । अप्रार्थी–1 द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस अनुसार प्रार्थी व अप्रार्थी–1 के मध्य रीकों द्वारा भूखण्ड संख्या एस–18 की भूमि पर जारी लीज डीड की भूमि से सम्बधित फर्म को लेकर आपस में विवाद है तथा उस विवाद का न्यायालय में एक सिविल वाद भी लम्बित होना बताया है तथा फर्म के पार्टनेरों में मध्य विवाद की वजह से दुर्भावना से यह निगरानी पेश की गई है, परन्तु आक्षेपित पट्टे की भूमि पर प्रार्थीया का हितबद्ध व्यक्ति होने का कोई सबूत पत्रावली पर नहीं होने से यह निगरानी अस्वीकार योग्य है तथा प्रकरणों के तथ्यों एवं परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत यह निगरानी इस न्यायालय में संधारण योग्य नही है तथा इसी आधार पर अस्वीकार योग्य है।

आदेश

12. उपरोक्त समग्र विवेचनानुसार, प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत यह निगरानी अस्वीकार की जाती है।

13. निर्णय की प्रति, विकास अधिकारी, पंचायत समिति, लूणी को भेजकर निर्देश दिये जाते है कि ग्राम पंचायत–बोरानाड़ा द्वारा मिसल संख्या–188/2013–14 में जारी पट्टा संख्या–188 दिनांक 15.08.2014 की मिसल पत्रावली, पंचायत बैठक रजिस्टर व पट्टा बुक ग्राम पंचायत, बोरानाडा द्वारा इस न्यायालय को उपलब्ध नहीं कराई है तथा ग्राम पंचायत बोरानाडा ने इस न्यायालय व आपको अवगत कराया है कि विवादग्रस्त पट्टे से सम्बधित रिकॉर्ड ग्राम पंचायत, बोरानाडा में उपलब्ध ही नहीं है, जो एक गंभीर अनियमितता है। अतः आपकों निर्देशित किया

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

जाता है कि उक्त पट्टे का समस्त रिकार्ड तुरन्त अपने कब्जे में लेकर, गहनता से वादग्रस्त पट्टे की जांच की जावे। अगर जांच में पट्टा विधि प्रावधानों के विपरीत जारी होना पाया जाता है तो आप धारा 97 के तहत तुरन्त निगरानी पेश करे। अगर तत्कालीन ग्रामसेवक द्वारा उक्त पट्टे का रिकॉर्ड चार्ज में नहीं दिया है तो दोषी कार्मिक के खिलाफ विभागीय जांच/फौजदारी कानून में सख्त कार्यवाही करे। उक्त कार्यवाही आज से तीन माह में हर हालात में पूरी की जावे।

14. निर्णय की प्रति ग्राम पंचायत बोरानाडा के ग्राम विकास अधिकारी को भेजकर आदेशित किया जाता है कि विवादित पट्टे से संबंधित वांछित समस्त रिकार्ड/सूचनाएं विकास अधिकारी, लूणी को तुरन्त उपलब्ध करावे।
15. निर्णय की प्रति मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् जोधपुर को भेजकर निवेदन है कि आक्षेपित पट्टे की जांच करने व आवश्यक कार्यवाही हेतु विकास अधिकारी, पंचायत समिति, लूणी/ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत बोरानाडा को निर्देशित करावे। प्रकरण का अपने स्तर से पर्यवेक्षण करे।
16. प्रकरण में लम्बित प्रार्थना पत्रों को एतद्द्वारा निस्तारित किया जाता है।
17. पत्रावली बाद तामिल व तकमील फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। नंबर से कम हो।

(जवाहर चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रथम)
जोधपुर

यह निर्णय आज दिनांक 28.10.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जवाहर चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रथम)
जोधपुर